

**अधिसूचना संख्या 179/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1966(ई), दिनांक
20-7-2015**

जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.19(ई) दिनांक 7 जनवरी, 2004 द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के तहत जारी, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 11 पर, "मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, 18, कॉलेज रोड, चेन्नई - 600006" द्वारा "निःशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा और अस्पताल का संचालन" को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ.1408(ई) दिनांक 4 सितंबर, 2006 द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 847(ई) दिनांक 25 मार्च, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2892(ई) दिनांक 27 दिसंबर, 2011 के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2892(ई) दिनांक 27 दिसंबर, 2011 द्वारा अनुमानित लागत 28 करोड़ रुपये की मूल निधि सहित 32.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 52 करोड़ रुपये की मूल निधि सहित 68.07 करोड़ रुपये कर दी गई थी;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के बारह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "निःशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा और अस्पताल का संचालन" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जिसे "मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, 18, कॉलेज रोड, चेन्नई - 600006" द्वारा 52 करोड़ रुपये की एक कोष निधि सहित 68.07 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में चलाया जा रहा है।

■■